

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 6/20

तारीख 30-1-20



गौरु पिता गंगाराम जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

01. मांगीलाल पिता देराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. नानालाल पिता नाथुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :-

दिनांक: 4/1/20

प्रार्थना पत्र गौरु पिता गंगाराम जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा उत्तनगर पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 23 पर अंकित आराजी संख्या 695/482 रकबा 4-00 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कंला को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा उत्तनगर पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 23 पर अंकित आराजी संख्या 695/482 रकबा 4-00 बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा